रजि०नं० 833/2019

<u>आदेश</u>

<u>05-04-2019</u>

प्रार्थी-अभियुक्त भूरा द्वारा मु०अ०सं० 128/2019 अन्तर्गत धारा 3/8 गौवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता निवा०अधिनियम थाना अजीमनगर जिला रामपुर के मामले में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। अभियुक्त उक्त मामले में न्यायिक अभिरक्षा में है।

जमानत प्रार्थना पत्र पर उभय पक्ष को सुना गया एवं प्रपत्रों का अवलोकन किया

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन करते हुये तर्क प्रस्तुत किया है कि उन्हें उक्त प्रकरण में झूठा फंसाया गया है व उनके द्वारा कथित अपराध कारित नहीं किया गया है। उनका आपराधिक इतिहास नहीं है। जमानत की याचना की गयी है।

विद्वान अभियोजन अधिकारी द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुये तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपराध अजमानतीय एवं गम्भीर प्रकृति का है ।

अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध अजमानतीय एवं गंभीर प्रकृति का है ।अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा अपराध की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुये जमानत का आधार प्रर्याप्त नहीं है।तद्नुसार अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

(रूपाली सक्सेना)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कक्ष सं01 रामपुर।
05-04-2019